

अन्तिम नियम

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2007

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2007

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज), 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2002-दस-3, दिनांक 16 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

- (1) प्रविष्टि (आठ) और प्रविष्टि (नौ) का लोप किया जाए.
- (2) प्रविष्टि (दस) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(ग्यारह) कटंग बांस-बेम्बूसा आरुंडिकेसिया”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2007

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-8-2002-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 11th April 2007

No. F. 30-8-02-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. F. 30-8-2002-X-3, dated 16th May, 2005, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

- (1) the entry (vii) and entry (ix) shall be omitted.
- (2) after entry (x), the following entry shall be inserted, namely :—

“(xi) Katang Bamboo-Bambusa Arundinacea.”

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 तथा 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, भाग (ख) के उप नियम (2) के खण्ड (क) में, मद (नौ) के पश्चात् निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(दस) नीम—अजाडरक्टा इंडिका

(ग्यारह) आम—मैंजीफैरा इंडिका”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2007

क्र. एफ. 30-8-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-8-2002-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 11th April 2007

No. F. 30-8-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 41 and 42 of the Indian Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4, in clause (a) of sub-rule (2) of Part (B), after item (ix), the following item and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“(x) Neem—Azadirachta Indica

(xi) Mango—Mangifera Indica”

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.